



BACKGROUNTERS
Press Information Bureau
Government of India

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025

“सहकारी सशक्तिकरण और विस्तार का साल”

18 जनवरी, 2026

मुख्य बातें

- **8.5 लाख** से ज़्यादा सहकारी समिति रजिस्टर्ड, **6.6 लाख** कार्यरत, जो 30 क्षेत्रों में **32 करोड़ सदस्यों** को सेवा दे रहे हैं, जिसमें **10 करोड़ महिलाएं** एसएचजी के ज़रिए कोऑपरेटिव से जुड़ी हैं।
- 79,630 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी (पैक्स) को कंप्यूटरीकरण के लिए मंजूरी मिली, **59,261** पैक्स सक्रिय रूप से ईआरपी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, **65,151** पैक्स को हार्डवेयर दिए गए, **42,730** पैक्स में ऑनलाइन ऑडिट पूरे हुए, **32,119** पैक्स को ई-पैक्स के तौर पर सक्षम बनाया गया।
- देश भर में **32,009** नए मल्टीपर्पस पैक्स, डेयरी और मत्स्य पालन कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड हुए।
- नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनईसीएल) का निर्यात: 28 देशों को **13.77 एलएमटी**, जिसकी कीमत **5,556 करोड़ रुपये** है, **20% लाभांश** सदस्य सहकारी समितियों में बांटा गया।
- नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनओसीएल) की सदस्यता: **10,035** कोऑपरेटिव, **28** ऑर्गेनिक उत्पाद।
- भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की सदस्यता: **31,605** कोऑपरेटिव।
- नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनसीडीसी) ने वित्त वर्ष 2024-25 में **95,183 करोड़ रुपये** वितरित, वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक **95,000 करोड़** वितरित बांटे गए।
- दुनिया की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण योजना चालू: **112** पैक्स में गोदाम पूरे हुए, जिससे **68,702 मीट्रिक टन** भंडारण क्षमता बनी।

- सहकार टैक्सी ने ट्रायल रन के दौरान 1.5 लाख से ज़्यादा ड्राइवर और 2 लाख ग्राहक रजिस्टर्ड किए।

प्रस्तावना

भारत में सहकारी आंदोलन को "वसुधैव कुटुंबकम" की प्राचीन अवधारणा से दार्शनिक आधार मिलता है, जो "दुनिया को एक परिवार" के रूप में देखती है और आपसी सम्मान, साझा जिम्मेदारी और सार्वभौमिक एकजुटता के सिद्धांतों को अपनाती है। सामूहिक कल्याण की यह स्थायी भावना भारत में सहकारी संस्थानों के विकास को आकार दे रही है, जो समुदाय-केंद्रित विकास को प्राथमिकता देते हैं। "सहकार से समृद्धि" की सोच से निर्देशित, सहकारी मॉडल को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता, उसकी विकास रणनीति का एक प्रमुख पहलू बनी हुई है। सरकार जमीनी स्तर तक अपनी पहुंच को गहरा करके और एक सक्षम नीतिगत, कानूनी और संस्थागत ढांचा बनाकर सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और उसका विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस (आईसीए), कोऑपरेटिव्स को सदस्यों के स्वामित्व वाले और सदस्य द्वारा शासित उद्यमों के रूप में परिभाषित करता है, जो अपने फैसले लेने में साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों से निर्देशित होते हैं।

सहकारी समितियों के वैश्विक महत्व को संयुक्त राष्ट्र ने औपचारिक रूप से मान्यता दी, जिसने 19 जून 2024 को "कोऑपरेटिव्स एक बेहतर दुनिया



बनाते हैं" थीम के तहत 2025 को "अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष" (आईवाईसी) घोषित किया। इस थीम ने समकालीन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और 2030 तक संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को आगे बढ़ाने में सहकारी संस्थाओं के योगदान पर प्रकाश डाला। आईवाईसी 2025 के ज़रिए, संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर कार्रवाई को बढ़ावा देने की कोशिश की तथा सरकारों, संस्थानों और व्यक्तियों को अधिक टिकाऊ और न्यायसंगत भविष्य की तलाश में सहकारी उद्यमों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया।


भारत में सहकारी आंदोलन का अवलोकन

आज़ादी से पहले के समय में, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट, 1904 के लागू होने के साथ ही सहकारी समितियों को कानूनी मान्यता मिली। आज़ादी के बाद, सहकारी समितियाँ विकेन्द्रीकृत विकास और भागीदारी शासन का एक प्रमुख साधन बनकर उभरीं। **नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनसीडीसी) (1963)** और **नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) (1982)** जैसे संस्थानों की स्थापना ने ग्रामीण ऋण प्रणालियों और सहकारी विकास को और मज़बूत किया, जबकि **6 जुलाई 2021** को एक समर्पित **सहकारिता मंत्रालय** के गठन ने इस क्षेत्र पर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान केंद्रित करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया।

भारत में सहकारी समितियां कृषि, क्रेडिट, बैंकिंग, हाउसिंग और महिलाओं के कल्याण सहित कई क्षेत्रों में काम करती हैं और दुनिया के कुल कोऑपरेटिव्स में इनका हिस्सा **एक-चौथाई** से ज़्यादा है। **दिसंबर 2025 तक, नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस (एनसीडी) में 8.5 लाख से ज़्यादा सहकारी समितियां दर्ज हैं, जिनमें से करीब 6.6 लाख चालू हैं, जो ग्रामीण भारत के लगभग 98 प्रतिशत हिस्से को कवर करते हैं और 30 क्षेत्रों में लगभग 32 करोड़ सदस्यों को सेवा देते हैं।** ये संस्थाएं दूध उत्पादकों, कारीगरों, मछुआरों, व्यापारियों और मजदूरों को बाजारों से जोड़ती हैं, जबकि महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़ाव ने लगभग **10 करोड़ महिलाओं** को सहकारी ढांचे में एकीकृत किया है। अमूल जैसी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थाओं से लेकर नाबार्ड, कृभको और इफको जैसी प्रमुख संस्थाओं के साथ-साथ हजारों स्थानीय सोसाइटियां और सहकारी समितियां भारत की आर्थिक संरचना का एक मूलभूत स्तंभ हैं।

INDIA'S COOPERATIVE FOOTPRINT AT A GLANCE

(As of December 2025)



वर्ष में समय पहल और उपलब्धियां

सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों और उनके सदस्यों की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई पहल की हैं। "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण से निर्देशित, इन प्रयासों का मकसद देश भर में सहकारी आंदोलन को मज़बूत करना और सहकारी समितियों को उनकी पूरी आर्थिक और सामाजिक क्षमता का एहसास कराना है।



प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से जीवंत और पारदर्शी बनाना

पैक्स में समावेशिता और शासन को बढ़ाना

शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मज़बूत करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और प्रमुख सहकारी संस्थानों के साथ परामर्श से सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियाँ करने में सक्षम बनाने के लिए मॉडल उप-नियम जारी किए हैं। ये उप-नियम महिलाओं और एससी/एसटी समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करके सदस्यता का भी विस्तार करते हैं। अब तक, 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने इन प्रावधानों के साथ अपने उप-नियमों को अपनाया है या संरेखित किया है।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पैक्स) ग्राम-स्तरीय संस्थाएँ हैं, जो ग्रामीण उधारकर्ताओं को अल्पकालिक ऋण और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती हैं और पुनर्भुगतान की वसूली को सुगम बनाती हैं।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए कोऑपरेटिव क्रेडिट का आधुनिकीकरण

भारत सरकार ने चालू प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को कंप्यूटराइज़ करने और उन्हें एक कॉमन एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) आधारित नेशनल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए 2,925.39 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। 29 जून, 2022 को मंजूरी मिलने के बाद, 2022-23 से 2026-27 की अवधि के लिए लागू की गई यह पहल, राज्य सहकारी बैंकों और ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्स को नाबार्ड से डिजिटल रूप से जोड़ती है।

इस योजना के तहत, प्रत्येक पैक्स को एक कंप्यूटर, वेबकैम, वीपीएन, प्रिंटर और बायोमेट्रिक डिवाइस सहित ज़रूरी हार्डवेयर सहायता प्रदान की जाएगी। यह आधारभूत सुविधाएं बाद के कार्यान्वयन चरणों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करेगी। ईपैक्स सिस्टम वित्तीय और परिचालन लेनदेन को व्यापक रूप से कैप्चर करता है और कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम (सीएस)-एमआईएस मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करता है।

अब तक:

- 2 जनवरी 2025 तक 47,155 पैक्स की तुलना में 59,261 पैक्स सक्रिय रूप से ईआरपी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं।
- 65,151 पैक्स को हार्डवेयर डिलीवर किया गया है, जो 79,630 पैक्स के बढ़े हुए लक्ष्य का लगभग 82% है (जनवरी 2025 तक कवर किए गए 57,578 पैक्स की तुलना में)।
- 42,730 पैक्स में ऑनलाइन ऑडिट पूरे हो चुके हैं।

- 32,119 पैक्स को ई- पैक्स के रूप में चालू कर दिया गया है।
- 22 ईआरपी माँड्यूल् के ज़रिए 34.94 करोड़ ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए गए हैं।
- सॉफ्टवेयर 14 भाषाओं में उपलब्ध है।

जमीनी स्तर पर बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना और विस्तार

भारत सरकार ने अगले पांच सालों में देश भर की सभी पंचायतों और गांवों को पूरी तरह से कवर करने के मकसद से नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को मंजूरी दे दी है।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, 32,009 नए पैक्स, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों का पंजीकरण हुआ है। वर्तमान में पैक्स 2,55,881 ग्राम पंचायतों में कार्यरत हैं, डेयरी सहकारी समितियां 87,159 ग्राम पंचायतों में और मत्स्य पालन सहकारी समितियां देशभर में 29,964 ग्राम पंचायतों में मौजूद हैं।

पैक्स का केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ एकीकरण

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को केंद्र सरकार की कई योजनाओं के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे ग्राम-स्थानीय सेवा वितरण केंद्रों के रूप में उनकी भूमिका में खासा विस्तार हुआ है। अब तक, 38,190 पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) में उन्नत किया गया है, ताकि कृषि संबंधी सहायता दी जा सके, जबकि 51,836 पैक्स सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के रूप में कार्य कर रहे हैं और 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अब तक, 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 4,192 पीएसीएस/सहकारी समितियों ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, जिनमें से 4,177 पीएसीएस को पीएमबीआई द्वारा प्रारंभिक स्वीकृति दी जा चुकी है और 866 को राज्य औषधि नियंत्रकों से औषधि लाइसेंस प्राप्त हो चुके हैं। 812 पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) के रूप में संचालित करने के लिए स्टोर कोड आवंटित किए गए हैं, जिससे सस्ती दवाओं तक पहुंच में सुधार होगा। पैक्स संयुक्त श्रेणी 2 (सीसी2) ढांचे के तहत खुदरा पेट्रोल और डीजल आउटलेट स्थापित करने के लिए भी पात्र हैं, जिनमें से 117 ने थोक से खुदरा रूपांतरण का विकल्प चुना है और 59 को तेल विपणन कंपनियों द्वारा चालू किया गया है। अब तक 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 394 पीएसीएस/एलएएमपी ने खुदरा पेट्रोल/डीजल डीलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, जिनमें से 10 पैक्स को चालू किया जा चुका है। इसके अलावा, पैक्स अपनी आय के स्रोतों में

विविधता लाने के लिए **एलपीजी वितरक** बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं और **962 पैक्स** को **ग्रामीण पाइपलाइन जल आपूर्ति योजनाओं** के संचालन और रखरखाव का कार्य करने के लिए पानी समितियों के रूप में चिन्हित किया गया है, जिससे जमीनी स्तर पर बहुउद्देशीय सेवा केंद्रों के रूप में उनकी भूमिका मजबूत होती है।

पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन

एफपीओ योजना के तहत, सहकारी क्षेत्र में **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)** को **1100** अतिरिक्त एफपीओ आवंटित किए गए हैं। अब, पैक्स एफपीओ के रूप में कृषि से संबंधित अन्य आर्थिक गतिविधियां भी कर सकेंगे। अब तक एनसीडीसी द्वारा सहकारी क्षेत्र में कुल **1863 एफपीओ** गठित किए गए हैं, जिनमें से **1117 एफपीओ** पीएसीएस को मजबूत करके गठित किए गए हैं। इस योजना के तहत अब तक एफपीओ/सीबीबीओ को **206 करोड़ रुपये** की राशि वितरित की जा चुकी है।

मछली पालक उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) का गठन

मछुआरों को बाजार संपर्क और प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने के लिए, एनसीडीसी ने प्रारंभिक चरण में **70 एफएफपीओ** पंजीकृत किए हैं। भारत सरकार के मत्स्य विभाग ने एनसीडीसी को **1000 मौजूदा मत्स्य सहकारी समितियों** को एफएफपीओ में परिवर्तित करने के लिए **225.50 करोड़ रुपये** का आवंटन स्वीकृत किया है। एनसीडीसी ने अब तक **1,070 एफएफपीओ** के गठन में सहायता की है और **2,348 एफएफपीओ** को सुदृढ़ करने का कार्य वर्तमान में जारी है। इस योजना के तहत, एफएफपीओ/सीबीबीओ को **98 करोड़ रुपये** की राशि वितरित की जा चुकी है। कोऑपरेटिव बैंक मित्रों के ज़रिए फाइनेंशियल इन्क्लूजन को मजबूत करना

सहकारी बैंक मित्रों के ज़रिए वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ बनाना

डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों को जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) और राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) के बैंक मित्र बनाकर उनके कारोबार का विस्तार किया जा सकता है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। **राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई)** के सहयोग से, इन बैंक मित्र सहकारी समितियों को डिजिटल वित्तीय समावेशन को मजबूत करने और पारदर्शी, पता लगाने योग्य, "घर-घर वित्तीय सेवाएं" उपलब्ध कराने के लिए **माइक्रो एटीएम** भी प्रदान किए जा रहे हैं। गुजरात में कुल **12,219 बैंक मित्र**

नियुक्त किए गए हैं और **12,624 माइक्रो एटीएम** जारी किए गए हैं, जो गुजरात राज्य की सभी **14,330 ग्राम पंचायतों** को कवर करते हैं। इस योजना से डेयरी सहकारी समितियों और पीएसीएस के लिए राजस्व का एक और स्रोत जुड़ा है, साथ ही **15,000** से अधिक लोगों के लिए रोजगार भी सृजित हुआ है। योजना से प्राप्त अनुभवों के आधार पर, मंत्रालय के मानक परिचालन (एसओपी) के अनुसार इसे राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करने की योजना है।

सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपये किसान क्रेडिट कार्ड

ग्रामीण सहकारी बैंकों की पहुंच और क्षमता बढ़ाने तथा ग्रामीण सहकारी समितियों के सदस्यों को ज़रूरी नकदी उपलब्ध कराने के लिए गुजरात के **पंचमहल और बनासकांठा** जिलों में एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत, सहकारी समितियों के सभी सदस्यों के खाते संबंधित जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में खोले जा रहे हैं और नाबार्ड के सहयोग से खाताधारकों को रुपये-किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वितरित किए जा रहे हैं। अब तक **22 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड** जारी किए जा चुके हैं, जिनके ज़रिए **10,000 करोड़ रुपये** से अधिक के ऋण वितरित किए गए हैं, जिससे उद्यमिता और रोजगार सृजन हुआ है।

दुनिया की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण योजना

सरकार ने **31 मई 2023** को सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी दी और जमीनी स्तर पर खाद्यान्न भंडारण क्षमता की कमी को दूर करने के लिए इसे एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया। यह योजना **प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स)** स्तर पर कृषि ढांचे के विकास पर केंद्रित है, जिसमें भंडारण गोदाम, सीमा शुल्क किराया केंद्र, प्रसंस्करण इकाइयां और उचित मूल्य की दुकानें शामिल हैं। इसे भारत सरकार की मौजूदा योजनाओं जैसे **कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)**, **कृषि विपणन अवसंरचना योजना (एएमआई)**, **कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएम)** और **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिककरण (पीएमएफएमई)** के साथ समन्वय स्थापित करके किया जाएगा।

30 दिसंबर 2025 तक की स्थिति:

- 112 पैक्स में गोदाम पूरे हो चुके हैं (पायलट चरण I - 11, राजस्थान - 82, महाराष्ट्र - 15, गुजरात - 4)

- सृजित भंडारण क्षमता: 68,702 मीट्रिक टन
- योजना का विस्तार पैक्स से आगे बढ़कर सभी सहकारी समितियों तक कर दिया गया है।

श्वेत क्रांति 2.0

सहकारिता मंत्रालय ने दुग्ध सहकारी समितियों को मजबूत और विस्तारित करने, दूध की खरीद को बढ़ावा देने और महिलाओं तथा ग्रामीण उत्पादकों के लिए बेहतर आजीविका के अवसरों के लिए **श्वेत क्रांति 2.0** की शुरुआत की है। इस पहल का मकसद सहकारी नेटवर्क में वर्तमान में शामिल न किए गए क्षेत्रों को एकीकृत करके **पांच वर्षों में दूध की खरीद में 50 प्रतिशत की वृद्धि** करना है। **19 सितंबर 2024** को एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई, जिसके बाद **25 दिसंबर 2024** को **6,600 नई दुग्ध सहकारी समितियों (डीसीएस)** का उद्घाटन किया गया। अब तक **31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों** में **20,070 डीसीएस** पंजीकृत हो चुकी हैं।

आत्मनिर्भरता अभियान

सहकारिता मंत्रालय ने किसानों को सहकारी नेटवर्क से जोड़कर और **न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)** पर सुनिश्चित खरीद के साथ-साथ एमएसपी से अधिक कीमतों पर खुले बाजार में बिक्री की अनुमति देकर **तुअर, मसूर, उड़द और मक्का** के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए, **राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ)** और **राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड)** ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों के पंजीकरण के लिए डिजिटल पंजीकरण प्लेटफॉर्म, **ई-संयुक्ति और ई-समृद्धि** विकसित किए हैं। दालों और मक्का के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, **56,673 पीएसीएस/एफपीओ** और **54.74 लाख किसानों** ने **ई-संयुक्ति और ई-समृद्धि पोर्टल** पर पंजीकरण कराया है। अब तक **9.08 लाख मीट्रिक टन दालें** और **45,105 मीट्रिक टन मक्का की खरीद** की जा चुकी है।

सहकारी बैंकों को मजबूत बनाना

पैक्स से परे, डिजिटल सुधार अब एक एकीकृत और पारदर्शी संरचना बनाने के लिए व्यापक सहकारी व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित एक साझा सेवा इकाई, "सहकार सारथी", ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) को **13 से अधिक डिजिटल, वित्तीय और लेखापरीक्षा सेवाएं** प्रदान करती है। इसकी **अधिकृत पूंजी 1,000 करोड़ रुपये** है, जिसमें

नाबाई, एनसीडीसी और आरसीबी की 33.33 प्रतिशत हिस्सेदारी है। शिकायत निवारण में सुधार के लिए सहकारी बैंकों को आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना में भी शामिल किया जा रहा है। संस्थागत प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए, 24 जनवरी 2025 को एक सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया था, जिसमें सहकारी समितियों में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए लेखापरीक्षा गुणवत्ता, परिचालन दक्षता और वित्तीय मजबूती जैसे डिजिटल संकेतकों का उपयोग किया गया था।

तीन नई राष्ट्रीय स्तरीय बहुराज्यीय समितियाँ


सहकारी बीज व्यवस्था को मजबूत बनाना: बीबीएसएसएल की स्थापना

भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की स्थापना सरकार द्वारा बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एक नई सर्वोच्च बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति के रूप में की गई है। संस्था को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के माध्यम से आधारभूत और प्रमाणित बीजों के उत्पादन, परीक्षण, प्रमाणीकरण, खरीद, प्रसंस्करण, भंडारण, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग के समन्वय का दायित्व सौंपा गया है। बीबीएसएल ने "भारत बीज" ब्रांड के तहत बीज पेश किए हैं और अब तक 31,605 पैक्स और सहकारी समितियाँ सदस्य के रूप में पंजीकृत हो चुकी हैं।

जैविक खेती और बाज़ार एकीकरण के लिए शीर्ष ढाँचा: एनसीओएल

भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने और उसका विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (एनसीओएल) की स्थापना एक सर्वोच्च बहुराज्यीय सहकारी संस्था के रूप में की गई है। 10,035 पैक्स और सहकारी समितियों की सदस्यता के साथ, एनसीओएल एकीकरण, प्रमाणीकरण, परीक्षण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और निर्यात सुविधा सहित व्यापक अंतःस्तरीय सहायता प्रदान करता है। एनसीओएल प्रमाणित जैविक उत्पादों को "भारत ऑर्गेनिक्स" ब्रांड के तहत बेचता करता है, जिसमें 28 उत्पाद शामिल हैं जिनका 245 से अधिक कीटनाशकों के लिए बैच-वार परीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एनसीओएल ने खरीद, प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं और क्लस्टर-आधारित पहलों का समर्थन करने के लिए कई राज्यों के साथ साझेदारी की है।

NATIONAL COOPERATIVE ORGANICS LIMITED (NCOL) AT A GLANCE



निर्यात प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय शीर्ष सहकारी संस्था: एनसीईएल

भारत के सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की, बहु-राज्यीय सहकारी संस्था के रूप में **नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल)** को स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित और 25 जनवरी 2023 को बहु-राज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत, एनईसीएल एक शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करता है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विभिन्न क्षेत्रों की सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करता है और उनकी वैश्विक व्यापार भागीदारी को मजबूत करता है। अब तक, **13,890 पैक्स/सहकारी समितियां** एनईसीएल की सदस्य बन चुकी हैं। **वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में**, एनईसीएल ने **5,556.24 करोड़ रुपये** मूल्य की **13.77 एलएमटी कृषि वस्तुओं** का निर्यात किया। सदस्यों को **20% लाभ** वितरित किया गया।

सहकारी समितियों में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम

सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय: सहकारिता मंत्रालय ने आईआरएमए अधिनियम को सहकारिता क्षेत्र के लिए परिवर्तित करके **त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय (टीएसयू)** की स्थापना की है, जो भारत का पहला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। यह अधिनियम **6 अप्रैल 2025** से प्रभावी हुआ। टीएसयू ने तुरंत कार्य करना शुरू कर दिया और 2025-26 में तीन

स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू किए। विश्वविद्यालय कुशल मानव संसाधन का निर्माण करेगा और शिक्षा, अनुसंधान और क्षेत्र-व्यापी संबद्धताओं के ज़रिए राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के लक्ष्यों का समर्थन करेगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

नव पंजीकृत पैक्स के सदस्यों, सचिवों और बोर्ड सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम **राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) और नाबार्ड** के ज़रिए आयोजित किए जाते हैं। 2024-25 में, एनसीसीटी ने **4,389 प्रशिक्षण कार्यक्रम** आयोजित किए और **3.15 लाख प्रतिभागियों** को प्रशिक्षित किया। सीएससी केंद्रित प्रशिक्षण में **30,210 पैक्स** को शामिल किया गया। जागरूकता कार्यक्रम, पदयात्रा और युवा पहलों का आयोजन राष्ट्रव्यापी स्तर पर किया गया।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)

सहकारिता मंत्रालय के अधीन **1963** में स्थापित **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)**, कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में सहकारी समितियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली एक प्रमुख संस्था है। यह कृषि उपज के उत्पादन, भंडारण और प्रसंस्करण को मज़बूत करने में मदद करता है, साथ ही डेयरी, मत्स्य पालन, हथकरघा और महिला नेतृत्व वाली सहकारी समितियों जैसी आय-सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इन प्रयासों के ज़रिए एनसीडीसी सहकारी समितियों की आर्थिक भूमिका को बढ़ाता है और जमीनी स्तर पर आजीविका को सहायता प्रदान करता है।

एनसीडीसी नंदिनी सहकार, स्वयं शक्ति सहकार, आयुष्मान सहकार और युवा सहकार जैसी विशेष योजनाएं संचालित करता है, जो **महिला नेतृत्व वाली, युवा नेतृत्व वाली, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और नवोन्मेषी सहकारी समितियों** को रियायती वित्त, ब्याज सब्सिडी और स्टार्टअप सहायता प्रदान करती हैं।

एनसीडीसी ने वित्त वर्ष 2024-25 में **95,183 करोड़ रुपये** और वित्त वर्ष 2025-26 में (अब तक) **95,000 करोड़ रुपये** वितरित किए हैं। सरकार ने एनसीडीसी को **2,000 करोड़ रुपये** के सरकारी गारंटी वाले बांड जारी करने की भी अनुमति दी है।

सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (भारत का पहला सहकारी नेतृत्व वाला मोबिलिटी प्लेटफॉर्म)

सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड भारत की पहली सहकारी नेतृत्व वाली मोबिलिटी पहल है, जिसे चालकों के लिए उचित आय और यात्रियों के लिए किफायती सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इस सहकारी समिति को **अमूल, नाफेड, नाबार्ड, इफको, कृभको, एनडीडीबी और एनसीईएल** द्वारा **300 करोड़ रुपये** की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ समर्थन दिया जाता है। एनसीआर और गुजरात में परीक्षण के तौर पर चल रहे इस ऐप पर **1,50,000 से अधिक ड्राइवर और 2,00,000 ग्राहक पहले ही पंजीकरण** करा चुके हैं। जनवरी में प्रस्तावित आधिकारिक लॉन्च से पहले परीक्षण के दौरान प्रतिदिन **5000** से अधिक राइड्स पूरी हो चुकी हैं। उम्मीद है कि यह योजना 2029 तक पूरे देश में उपलब्ध हो जाएगी।

जीईएम पोर्टल पर सहकारी समितियों को 'खरीदार' के रूप में शामिल करना

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर सहकारी समितियों को खरीदार के रूप में पंजीकृत करने की मंजूरी 2022 में दी गई थी। सहकारी समितियां जेम प्लेटफॉर्म पर लगभग **67 लाख** सत्यापित विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं से सामान और सेवाएं खरीद सकती हैं। अब तक **721 सहकारी समितियों** को खरीदार के रूप में शामिल किया जा चुका है और उन्हें विक्रेता के रूप में पंजीकृत करने के प्रयास भी जारी हैं। अब तक इन समितियों ने **3,285 लेनदेन** पूरे किए हैं, जिनकी कुल राशि **396.77 करोड़ रुपये** है।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) का निर्माण

सहकारिता मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से **8 मार्च 2024** को एक व्यापक **राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी)** का शुभारंभ किया। यह **30 क्षेत्रों** में लगभग **32 करोड़ सदस्यों** वाली **8.5 लाख से अधिक सहकारी समितियों** के डेटा तक एकल-बिंदु पहुंच प्रदान करता है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। यह डेटाबेस <https://cooperatives.gov.in/en> पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय सहयोग नीति (एनसीपी)

सहकारिता मंत्रालय द्वारा 24 जुलाई, 2025 को **राष्ट्रीय सहकारिता नीति (एनसीपी) 2025** का शुभारंभ किया गया। यह नीति भारत के सहकारी आंदोलन को पुनर्जीवित और आधुनिक बनाने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीतिक ढांचा पेश करती है। **विकसित भारत 2047** की

परिकल्पना और सहकार-से-समृद्धि के सिद्धांत पर आधारित यह नीति, भारत की समृद्ध सहकारी विरासत को मज़बूत करते हुए सहकारी समितियों को सशक्त बनाने, समावेशिता बढ़ाने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने का काम करती है। यह नीति अगले दशक में 16 उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक मिशन को प्रतिपादित करती है, जो छह रणनीतिक मिशन स्तंभों पर आधारित है।



आयकर अधिनियम में सहकारी समितियों को राहत

हालिया कर सुधारों से सहकारी समितियों पर वित्तीय बोझ कम हुआ है और सदस्यों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए उनकी परिचालन क्षमता में सुधार भी हुआ है। 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच कर योग्य आय वाली सहकारी समितियों पर लागू अधिभार को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि न्यूनतम वैकल्पिक कर को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा, 31 मार्च 2024 को या उससे पहले स्थापित नई विनिर्माण सहकारी समितियां, 15 प्रतिशत की रियायती कॉर्पोरेट कर दर के लिए पात्र हैं। प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (आरआरबी) के लिए, प्रति सदस्य नकद जमा, भुगतान, ऋण और पुनर्भुगतान की अनुमत सीमा को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे परिचालन में अधिक सरलता होती और बेहतर सेवा वितरण में सुविधा होती है।

सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार

सरकार ने अप्रैल 2016 से उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) या राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य (एसएपी) तक के भुगतानों को कर से मुक्त करके और पूर्व भुगतानों को व्यय के रूप में मान्य करके सहकारी चीनी मिलों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिससे 46,000 करोड़ रुपये से अधिक की कर राहत मिली है। एनसीडीसी के ज़रिए 10,000 करोड़ रुपये की ऋण योजना इथेनॉल, सह-उत्पादन और कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा कर रही है, जिसमें से 1,000 करोड़ रुपये एनसीडीसी को जारी किए गए हैं और 10,005 करोड़ रुपये 56 मिलों को वितरित किए गए हैं। इथेनॉल खरीद में सहकारी मिलों के साथ अब निजी फर्मों के समान व्यवहार होता है और मौजूदा इथेनॉल संयंत्रों को मक्का का उपयोग करने के लिए बहु-फीड इकाइयों में परिवर्तित किया जा रहा है। गुड़ पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% कर दिया गया है और कोडिनार, तलाला और वलसाड में परिचालन और किसानों की आय को मजबूत करने के लिए सुधार प्रयास जारी हैं।

निष्कर्ष

समावेशी और न्यायसंगत विकास के चालक के रूप में सहकारी समितियों को मजबूत करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उद्देश्यों के अनुरूप किए गए व्यापक सुधारों में साफ दिखाई देती है। सहकार से समृद्धि की परिकल्पना से प्रेरित होकर, सुधारों की एक श्रृंखला ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की पारदर्शिता, कार्यक्षमता और बहुउद्देशीय भूमिका को बढ़ाया है, सहकारी नेटवर्क को पंचायत स्तर तक विस्तारित किया है, भंडारण और प्रसंस्करण अवसंरचना को मजबूत किया है और महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को लक्षित सहायता प्रदान की है।

डिजिटलीकरण, नए बहुराज्यीय सहकारी संगठन, क्षमता निर्माण संस्थान और सहायक वित्तीय एवं नीतिगत उपायों ने शासन, दक्षता और बाजार एकीकरण को और बेहतर बनाया है। ये सभी प्रयास मिलकर सशक्त आजीविका को बढ़ावा देने, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और सहभागी एवं सतत् विकास को प्रोत्साहित करने में भारत के सहकारी आंदोलन की विकसित होती भूमिका को दर्शाते हैं।

संदर्भ

सहकारिता मंत्रालय

<https://www.cooperation.gov.in/>

https://cooperatives.gov.in/Final_National_Cooperative_Database_023.pdf

<https://www.cooperation.gov.in/sites/default/files/inline-files/Compilation-of-Suggestions-received-so-far.pdf>

<https://ncel.coop/>
<https://ncol.coop/>
<https://bbssl.coop/>
<https://www.ncdc.in/index.jsp?page=genesis-functions=hi>
<https://www.cooperation.gov.in/sites/default/files/2025-03/IYC%20Annual%20Action%20Plan-English.pdf>
<https://2025.coop/iyf/>
<https://cooperatives.gov.in/en/home/faq>
https://www.cooperation.gov.in/sites/default/files/2025-07/NCP%28Eng%29_23Jul2025_v5_Final.pdf
<https://cooperatives.gov.in/en>
<https://www.cooperation.gov.in/en/about-primary-agriculture-cooperative-credit-societies-pacs>
<https://www.cooperation.gov.in/hi/node/1436#:~:text=In%20order%20to%20make%20PACS,NABARD%20through%20DCCBs%20and%20StCBs.>
<https://www.cooperation.gov.in/sites/default/files/2025-11/Initiatives%20%28Booklet%29%20%20-%2020.11.2025%28updated%29.pdf>
https://www.cooperation.gov.in/sites/default/files/2025-07/NCP%28Eng%29_23Jul2025_v5_Final.pdf

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

<https://www.nafed-india.com/>

मत्स्यपालन, पशु पालन और डेयरी मंत्रालय

<https://www.nddb.coop/>
<https://nfdi.gov.in/>

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

<https://ncdf-india.com/>

वित्त मंत्रालय

<https://www.nabard.org/EngDefault.aspx>

पीआईबी प्रेस रिलीज़

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2201738®=6&lang=1>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2201628®=3&lang=2>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2201659®=3&lang=1>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2201632®=3&lang=1>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2201663®=3&lang=1>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2201754®=3&lang=1>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2153182®=3&lang=2>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2201752®=3&lang=1>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2204693®=3&lang=1>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2199602®=3&lang=1>
<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/sep/doc2025926647401.pdf>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2205137®=3&lang=1>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2201637®=3&lang=2>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2186643>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2201749®=3&lang=2>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2199832>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2205068®=3&lang=2>
<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2201738®=6&lang=1>

पीआईबी शोध

पीके/केसी/एनएस